

Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd.

Public Notice

In compliance to the provisions of the Electricity Act, 2003 and the CSERC (Terms & conditions for determination of tariff for Renewable Energy sources) Regulations- 2025, Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd. (CSPGCL) has filed Petition before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) for Determination of ARR/ Tariff of CSPGCL's Small/ Mini Hydro Plants for FY 2026-27 to FY 2029-30. This petition has been registered as petition no 01 of 2026. Summary of single part tariff prayed in the petition is as under:

Particulars	Tariff (Rs /Unit)			
	FY 26-27	FY 27-28	FY 28-29	FY 29-30
SHP Gangrel	2.642	2.688	2.757	2.834
SHP Sikasar	3.293	3.401	3.534	3.665
Mini Hydro Korba	2.678	2.741	2.823	2.902

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in and CSPGCL website <https://cspgcl.co.in>. Hardcopy of the aforesaid petition is available in office of the Commission as well as in the office of Chief Engineer (C&RA), CSPGCL and same can be purchased by paying an amount of Rs. 200/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 75/- as postal expenses.

Objections/Suggestions, on the above petition, may be submitted to the Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in with a copy to Chief Engineer (C&RA), CSPGCL, Shed no. 6, Vidyut Sewa Bhawan Daganiya Raipur – 492013, Email: edcnra@cspc.co.in, within 21 days of publication of this notice.

Notice for hearing on aforesaid petition may be published separately by CSERC in the newspapers.

Chief Engineer (C&RA)
CSPGCL Raipur

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003, के प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु निर्बंधन एवं शर्तें) विनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सी.एस.पी.जी.सी.एल.) द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सी.एस.ई.आर.सी.) के समक्ष सी.एस.पी.जी.सी.एल. के लघु/मिनी जलविद्युत संयंत्रों के वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2029–30 तक के लिए वार्षिक स्थिर प्रभार/टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका दाखिल की गई है। उक्त याचिका को याचिका संख्या 01/2026 के रूप में पंजीकृत किया गया है। याचिका में प्रस्तावित एकल भाग टैरिफ का सारांश निम्नानुसार है :-

विवरण	ऊर्जा दर (रु./युनिट)			
	वित्तीय वर्ष 26–27	वित्तीय वर्ष 27–28	वित्तीय वर्ष 28–29	वित्तीय वर्ष 29–30
गंगरेल लघु जल विद्युत गृह	2.642	2.688	2.757	2.834
सिकासार लघु जल विद्युत गृह	3.293	3.401	3.534	3.665
सूक्ष्म जल विद्युत गृह कोरबा	2.678	2.741	2.823	2.902

याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserec.gov.in एवं सी.एस.पी.जी.सी.एल की वेबसाइट <https://cspgcl.co.in> पर उपलब्ध है। उपरोक्त याचिका की मुद्रित प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यालय एवं साथ ही मुख्य अभियंता (सी. एण्ड आर.ए.), सी.एस.पी.जी.सी.एल. कार्यालय में भी उपलब्ध है जिसे कार्यालयीन दिवसों में रुपये 200/- का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांय: 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रुपये 75/- (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस आम सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर - 492001, ईमेल cserec.sec.cg@nic.in के समक्ष, मुख्य अभियंता (सी.एण्ड आर.ए.), शेड नं. 06, सी.एस.पी.जी.सी.एल. विद्युत सेवा भवन डंगनियां रायपुर-492013, ई-मेल edcnra@cspc.co.in को प्रतिलिपि के साथ, प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकती है।

मुख्य अभियंता (सी. एण्ड आर.ए.)
सी.एस.पी.जी.सी.एल., रायपुर